कन्या भ्रूण हत्या : भारत के संदर्भ में

डा0 अनामिका सिंह·
असिस्टेंट प्रोफेसर ·
समाजशास्त्र विभाग
एम0एल0के0 पी0जी0कालेज, बलरामपुर।

अभी तो मैं खिलने भी न पाई थी,
अपने नन्हें हाथों से तुम्हें छू भी न पाई थी।
तेरी गोदी तेरी ममता को मैं ललचाई थी,
पर बेटे की चाह में मैं बेटी जन्म न लेने पाई थी।

ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि विवशता है उस बेटी की जिसे जन्म लेने से पहले हर गर्भ में मार दिया जाता है। भारतीय समाज में बेटी को हमेशा ही बोझ समझकर परिवार में उनसे दोयम स्तर का व्यवहार किया जाता रहा है। पहले देश के कई राज्यों में उनके जन्म लेने के पश्चात उनकी हत्या कर दी जाती थी या उन्हें अफीम चटाकर मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था, परन्तु जबसे चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का विस्तार हुआ तबसे बेटी के जन्म लेने की नौबत ही नहीं आती बल्कि लिंग परीक्षण के द्वारा यह पता चलते ही गर्भ में पल रहा भ्रूण बेटी का है उसे जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। इसी को हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या का मतलब है मां की कोख से मारा भ्रूण को निकाल फेंकना। जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक दुरुपयोग के नियमित और बचाव अधिनियम 2002 की धारा 4(1)सी.बी.सी. के तहत के अनुसार भ्रूण को पारिभाषित किया गया है –

"निषेचन या निर्माण के सत्तानवे दिन से शुरु होकर अपने जन्म के विकास की अवधि के दौरान एक मानवीय जीव।"

अफसोस की बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन अशिक्षित और निर्धन लोगों में नहीं बल्कि शिक्षित तथा समृद्ध लोगों में भी देखने को मिलता है। यूनिसेफ के एक अनुमान अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में लड़कियों की संख्या में डेढ़ करोड़ की कमी आई है अर्थात् इतनी लड़कियों को जन्म लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। देश में तमाम ऐसे हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब है जो चोरी छिपे लिंग परीक्षण का कार्य करते हैं। ये उन लोगों की मानसिकता का फायदा उठाते हैं जो बेटी की तुलनायें बेटों को अधिक महत्व देते हैं।

भारतीय समाज में हमें पत्नी, बहन और मां के संबंध तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। जब बेटी चाहिए ही नहीं तो इन संबंधों का अस्तित्व भी खतरे में आ जायेगा। ऐसे व्यक्तियों की भी समाज में कमी नहीं है, जो बाहर तो महिला शिक्षा एवं उसके उत्थान की बात करते हैं पर अपने ही घर में वह बेटी के अस्तित्व को नकारते हैं उसका जन्म ही नहीं चाहते।

कन्या भ्रूण हत्या के कुछ प्रमुख कारण निम्न है :-

Scanned with OKEN Scanner

1. धार्मिक कारण –

हमारे समाज में धर्म की प्रधानता सदा से ही रही है। प्रमुख धार्मिक ग्रंथो में पुरुष से ही विभिन्न प्रकार धार्मिक कर्त्तव्यों और यंत्रों को पूरा करने की अनुगति प्रदान की गई है जिसकी वजह से पुत्र प्राप्ति की इच्छा बलव होती है और कन्या का जन्म परिवार नहीं चाहता।

1. ऐसी मान्यता है कि वंश परम्परा का निर्माण सिर्फ पुत्र के द्वारा हो सकता है इसलिए परिवार में पुत्र का ज अनिवार्य है जिससे पारिवारिक वंश परम्परा आगे बढ़ सके।
2. मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार का अधिकार सिर्फ पुरुष को ही है चाहे वह पति हो या पुत्र। इसलिए भी पु प्राप्ति की इच्छा होती है।
3. श्राद्ध एवं तर्पण भी पुत्र के द्वारा ही किया जाता है इसलिए पुत्री के स्थान पर पुत्र को महत्व दिया जाता है।

2. सामाजिक कारण –

हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है जिसे हम प्रमुख रुप से इन तथ्यों क आधार पर समझ सकते हैं –

1. पितृसत्तात्मक व्यवस्था – यहां पर पुरुष का परिवार पर हमेशा से प्रभाव रहा। वंश परम्परा का निर्धारण पि कुल के आधार पर ही होता रहा, विवाह के पश्चात स्त्री अपना घर त्याग कर अपने पति के घर आती है। उत्तराधिका हमेशा पिता से पुत्र को मिलता है पुत्री को नहीं।
2. अशिक्षा – सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत 74.04 है। यह भी एक बड़ा कारण है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी शिक्षित नहीं है इसलिए वह बेटे और बेटी के बीच में भेद करती है और बेटी की तुलना में बेटे को अधिक महत्व देती है।
3. निर्धनता – निर्धनता एक अभिशाप है और समाज का एक बड़ा तबका अभी भी निर्धनता में रह रहा है। वह बेटी को एक बोझ के समान मानता है और उसकी शिक्षा दीक्षा विवाह आदि में अपने को असमर्थ पाता है इसलिए वह बेटी का जन्म अपने परिवार में नहीं चाहता।
4. असुरक्षा की भावना – महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। छेड़छाड़, घूरना, पीछा करना, दुष्कर्म आदि ऐसे अपराध है जो बहुत तेजी के साथ समाज में बढ़ रहे हैं। कुछ लोगो का मत है कि जब घर में बेटी होगी ही नहीं तो उन्हें इस प्रकार के अपराधों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

3. आर्थिक कारण–

आर्थिक कारणों को कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रमुख रुप से जिम्मेदार माना जा सकता है जिसे हम प्रमुख रुप से निम्न आधार पर समझ सकते हैं :–

1. दहेज प्रथा – इस कुप्रथा के कारण सबसे ज्यादा लड़कियों को जन्म लेने से वंचित कर किया जाता है। अधिकांश अभिभावकों का मानना होता है कि पहले बेटियों को पढ़ाओं लिखाओ उनका पालन पोषण करो फिर विवाह के समय नकद, विभिन्न वस्तुओं के साथ उनको विदा करो और विवाह के पश्चात भी विभिन्न अवसरों पर लेने देने का

Scanned with OKEN Scanner

यह प्रचलन बना रहता है जिसकी पूर्ति न होने पर उन्हें सताया जाता है या उनकी हत्या तक कर दी जाती है। दहेज की मांग की विभीषिका के चलते भी लोग बेटी का जन्म नहीं चाहते।

2. उपभोक्ता के रुप में - यह माना जाता है कि बेटी को हमेशा देना ही पड़ता है उससे कुछ लिया नहीं जा सकता इसलिए परिवार में उसे एक उपभोक्ता के रुप में देखा जाता है।

उपरोक्त धार्मिक सामाजिक और आर्थिक कारणों से यह स्पष्ट होता है कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के लिए सम्मान जनक स्थान नहीं है। एक स्त्री के ऊपर जब बहुत ज्यादा पारिवारिक या मानसिक दबाव डाला जाता है तभी वह उनके इस आपराधिक कृत्य में साथ देने के लिए तैयार होती है और अपनी ही कन्या को जन्म लेने के अवसर से वंचित कर देती है।

नीचे वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के आधार पर 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात प्रस्तुत है जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों में स्त्री और पुरुष का औसत क्या रहा इसे समझने में हमें सहायता मिलेगी और हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को और भी गंभीरता से समझ सकेंगे।

0-6 वर्ष के आधार पर

क्रम	बाल लिंगानुपात राज्य/संघ क्षेत्र	लिंगानुपात 2011	लिंगानुपात 2001	2001 से 2011 के बीच
1	केरल	964	960	+4
2	पाण्डिचेरी	967	967	+0
3	तमिलनाडु	943	942	+1
4	आंध्र प्रदेश	939	961	-22
5	छत्तीसगढ़	969	975	-6
6	मणिपुर	936	957	-21
7	मेघालय	970	973	-3
8	उड़ीसा	941	953	-12
9	मिजोरम	970	964	+6
10	हिमांचल प्रदेश	909	896	+13
11	कर्नाटक	948	946	+2
12	गोवा	942	938	-4
13	उत्तराखण्ड	890	908	-18
14	त्रिपुरा	957	966	-9
15	असम	962	965	-3
16	लक्ष्यद्वीप	911	959	-48
17	झारखण्ड	948	965	-17
18	पश्चिम बंगाल	956	960	-4
19	नागालैण्ड	943	964	-21
20	मध्य प्रदेश	918	932	-14

Scanned with OKEN Scanner

21	राजस्थान	888	909	-21
22	महाराष्ट्र	894	913	-19
23	अरुणाचल प्रदेश	972	964	+8
24	गुजरात	890	883	+7
25	बिहार	937	942	-7
26	उत्तर प्रदेश	902	916	-14
27	पंजाब	846	798	+48
28	सिक्किम	957	963	-6
29	जम्मू एवं कश्मीर	862	941	-79
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	968	957	+11
31	हरियाणा	834	819	+15
32	दिल्ली	871	868	+3
33	चण्डीगढ़	880	845	+33
34	दादर नगर हवेली	926	979	+53
35	दमन और दीव	904	926	-22
औसत		919	927	-8

उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों में लड़कियों की संख्या तेजी के साथ घट रही है। प्रति 1000 लड़कों पर सन 2011 की जनगणना अनुसार लड़कियों का औसत 919 है। राष्ट्रीय लिंगानुपात स्त्री पुरुष से भी कम है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड ऐसे राज्य है जहां पर लिंगानुपात 900 से भी कम है। ये ऐसे राज्य है जो समृद्ध भी है और शिक्षा का स्तर भी इन राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना से उच्च है। इन राज्यों में लिंगानुपात का कम होना चिंता का विषय है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात में कमी आने वाले समय में विवाह योग्य लड़कों के लिए वधू की कमी, कम आयु की स्त्री से विवाह के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में उच्चता की संभावना, यौन अपराध और महिलाओं का शोषण जैसे दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयास किये जायें इसके लिए भारत में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) अधिनियम 1994 कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पी.एन.डन.टी. एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी हैं। इस अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्न है :-

अधिनियम की मुख्य विशेषतायें –

1. गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग का चयन प्रतिबन्धित करता है।
2. भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग तथा भ्रूण के लिंग के चयन एवं निर्धारण संबंधी विज्ञापनों को प्रतिबन्धित करता हैं ।

Scanned with OKEN Scanner

3. भ्रूण का लिंग निर्धारण करने में सक्षम संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य करता है।
4. सभी संस्थाओं के लिए फार्म एक सहित सभी रिकार्डों का रख रखाव एवं संरक्षण अनिवार्य करता है।
5. जिन महिलाओं को गर्भस्थ शिशु के लिंग चयन हेतु बाध्य किया गया हो, उन्हें इस अधिनियम में सजा अथवा जुर्माने से सुरक्षा प्रदान की गई है।

अधिनियम के तहत कारावास तथा वित्तीय जुर्माने का प्रावधान -

1. चिकित्सक/क्लीनिक के मालिकों के लिए पहले अपराध के लिये 3 साल तक की सजा के साथ 10000 रुपये तक का जुर्माना तथा तत्पश्चात अपराध के लिए 5 साल तक के लिए चिकित्सक का मेडिकल पंजीकरण रद्द करना।
2. लिंग चयन कराने के लिए उकसाने पर पति/ परिवार के सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को 3 साल तक की सजा एवं 50000 रुपये तक का जुर्माना।
3. लिंग चयन संबंधी किसी प्रकार का विज्ञापन देने पर 3 साल तक की सजा एवं 10000 रुपये तक का जुर्माना।

परन्तु इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात भी ये गैरकानूनी कार्य रुका नहीं है और देश के अधिकांश हिस्सों में चोरी छिपे लिंग परीक्षण किये जा रहे हैं तथा भ्रूण कन्या का है यह पता चलते ही उसे नष्ट कराया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे प्रावधान किये जायें जिससे लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नांकित है :-

1. चिकित्सकों के लिए एक मजबूत नियमावली हो और उसकी अवहेलना करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाये।
2. समय समय पर क्लीनिक्स, पैथोलाजी सेंटरो का औचक निरीक्षण करना चाहिए।
3. लोगों को लिंग परीक्षण के खिलाफ जागरुक करके।
4. कन्या भ्रूण हत्या का समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा इसके बारे में जागरुक करके उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना जो ऐसे डाक्टर्स और सेंटर्स की सूचना दें जहां पर चोरी छिपे भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाता है।

इन उपायों से हम निश्चित रुप से समाज में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सफल हो पायेंगें। देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए तथा बेटी के महत्व को समझाने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनायें चलायी जा रही है जिससे समाज में बेटियां अपने अस्तित्व को पहचान सकें तथा अपने लिए एक नया आसमान चुन सकें यहां पर प्रस्तुत है विभिन्न योजनायें :-

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनायें -

1. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :-** इस योजना का मुख्य उददेश्य लिंग पक्षपातपूर्ण गर्भपात जैसी सामाजिक बीमारियों से बालिकाओं को बचाना तथा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हैं। इसे आरम्भ में उन जिलों में शुरु किया गया जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम थी। बाद में देश के अन्य हिस्सों में इसका विस्तार किया गया इसे 22 जनवरी 2015 में हरियाणा राज्य के पानीपत में आरम्भ किया गया।
2. **सुकन्या समुद्धि योजना :-** यह योजना 10 साल तक की उम्र की बेटियों के लिए आरम्भ की गयी। एक व्यक्ति अपनी दो पुत्रियों के लिए इस खाते को खोल सकता है तथा 14 वर्ष तक इसमें निवेश करना होता है। इसका

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग बेटी की पढ़ाई तथा विवाह के लिए दिया जा सकता है।

3. **बालिका समृद्धि योजना** :- यह वर्ष 1997 में महिला और बाल विकास के लिए नीतियों के तहत शुरु की गयी थी। दूसरा उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली युवा लड़कियों और उनकी माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनायी गयी। स्कूल में नामांकन में सुधार, विवाह योग्य आयु को बढ़ाना तथा समाज की उनकी स्थिति में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

4. **सी बी एस ई छात्रवृत्ति योजना** :- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है तथा पूरे भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियर और तकनीकी कालेजों में लड़कियों का एडमीशन बढ़ाना है।

5. **धन लक्ष्मी योजना** :- मार्च 2008 में कम आय वाले परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रुप में आरम्भ की गयी। इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेष आर्थिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना है।

विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनायें -

1. **हरियाणा लाइली योजना**:- 20 अगस्त 2015 को आरम्भ। इसका उद्देश्य स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में वृद्धि करना तथा लोगों की मानसिकता में परिवर्तन कि कन्या भ्रूण सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सके।

2. **मध्य प्रदेश लाइली लक्ष्मी योजना** :- वर्ष 2006 में आरम्भ। इसका उद्देश्य बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समाजिक बुराईयों को रोकना था।

3. **महाराष्ट्र माझी कन्या भाग्य श्री योजना** :- 01 अप्रैल 2016 को आरम्भ की गयी। यह गरीबी रेखा के नीचे तथा कमजोर वर्ग की बालिकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए चलायी गयी। इसका उद्देश्य कन्या अनुपात में सुधार तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है।

4. **पश्चिम बंगाल कन्या श्री प्रकल्प** :- सन 2013 में आरम्भ। इसके अन्तर्गत रुपये 25000 तक की एक मुश्त छात्रवृत्ति बालिकाओं को प्रदान की जाती है। सन 2017में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे सम्मानित भी किया जा चुका है।

5. **कर्नाटक भाग्य श्री योजना** :- गरीबी रेखा के नीचे परिवारों में बेटी के जन्म को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। रुपये 25000 तक का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, बिहार, उत्तराखण्ड आदि अनेकों ऐसे राज्य है जो बेटियों को सामाजिक स्थिति या शिक्षा में वृद्धि के लिए अनेको योजनाओं को संचालित कर रही हैं।

वास्तव में एक नागरिक के रुप में हम निश्चित कर लें कि हम बेटियों पर अत्याचार नहीं करेंगे। अपने तथा अपने नजदीकियों में किसी को भी भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं कराने देंगे। अपने आस-पास के लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरुक करेंगे तो हम इस स्थिति को काफी हद तक परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि समाज में अब बेटियों के प्रति मानसिकता में परिवर्तन होने लगा है। लेकिन यह बहुत कम स्तर पर है हमें इसे और भी व्यापक स्तर पर ले जाते हुए बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है।

Scanned with OKEN Scanner

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं और कानून बनाकर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमें बस इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी।

संदर्भ –

1. 9 अक्टूबर 2012 'द हिन्दू' में प्रकाषित आलेख।
2. Decline in child sex ratio press information Burocuu of India 11 फरवरी 2014
3. महिला एवं बाल विकास विभाग, पत्र सूचना कार्यालय वर्चुअल लर्निंग।
4. www.pmindia.gov.in
5. www.mygov.in
6. www. patrika.com

Scanned with OKEN Scanner